जयपुर विकास प्राधिरकण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/सम/एफ–31(30)विविध/2010 /डी-3471 दिनांक:– 26.4.10

आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)क में उपबन्धित प्रावधानान्तर्गत प्राधिकरण के प्रत्येक प्रशासनिक/एकक/प्रकोष्ठ के प्रभारी/राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने अधिनस्थ प्रकोष्ठ के समस्त अभिलेखादि, पत्रावलियों और प्रपत्रों को सूचीबद्ध करने तथा उन्हें कम्प्यूटरीकृत करके विभिन्न प्रणालियों से पूरे देश मे नेटवर्क माध्यम से आम नागरिकों की पहुँच तक जोडे जाने की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। इसी अनुसार धारा 4(1)ख में वर्णित 17 बिन्दुओं पर प्रावधानानुसार अधिनियम प्रभावी होने से 120 दिवस के अन्तर्गत कार्यवाही प्रत्येक विभाग स्तर पर सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।

अतः उपरोक्तानुसार अधिनियम की धारा 4(1)क व 4(1)ख में वर्णित कार्यवाही को सम्पादित कराने हेतु अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक कौर कमेटी का गठन किया जाता है। जिसमे निम्न सदस्यगण निधुक्त किये जाते है :–

1. वरिष्ठ नगर नियोजक (बी0पी0सी0)
2. उपायुक्त (समन्वय)
3. अति0 निदेशक (राजस्व एवं भूमि निस्तारण)
4. सर्किल अभियन्ता (प्रथम) व तकनीकी सहायक निदेशक (अभियान्त्रिकी)
5. उप निदेशक (विधि)
6. सिस्टम एनालिस्ट

उपरोक्त समिति समय–समय पर बैठक आयोजित कर उक्त प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित कर रिपोर्ट नियमित रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगी।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सहायक सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. अति0 आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक (बी0पी0सी0), जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त (समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
6. अति0 निदेशक (राजस्व एवं भूमि निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
7. सर्किल अभियन्ता (प्रथम) व तकनीकी सहायक निदेशक (अभियान्त्रिकी), जविप्रा, जयपुर।
8. उप निदेशक (विधि), जविप्रा, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।